न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.)
प्रकरण संख्या – 02/2024
ऑनलाईन प्रकरण सं. – 2024/9

दायर दिनांकः– 21.02.2024
निर्णय दिनांकः– 20.03.2024

1. श्री बीनू पिता फतिया कटारा निवासी पोटलिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा ।

बनाम

1. भुमिधारी राज्य सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार कुशलगढ़।

वाद अन्तर्गत धारा 136 नक्शा इन्द्राज दुरस्ती

आदेश

प्राथी बीनू पिता फतिया की ओर से एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पोटलिया तहसील कुशलगढ़ के मूल सर्वे नम्बर 116 के आबादी प्लाटों की तरमीम ऑनलाईन राजस्व नक्शो में आराजी नंबर 740/116, 908/116 एवं 867/116 की भुमि का गलत अंकन हो गया है। उपरोक्त नक्शा राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित हो जाने से प्रार्थीगण के स्वामित्व व खातेदारी की आबादी भूमि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण से राजस्व रेकार्ड में गलत नक्शा को सही कर इन्द्राज किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है। अतः उक्त भुमि को सही अंकन किये जाने का आदेश फरमावे।

इस संबंध में पूर्व में दिनांक 25.07.2023 को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के संबंध में सुनीता पत्नि बीनु द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि ग्राम पोटलीया की जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता संख्या 336, 370 व 388 में खसरा नम्बर 740/116, 908/116 व 867/116 रकबा क्रमशः 0.0324 है., 0.0162 है., 0.0364 है., सेग्रीगेशन के समय 1:1 मेपिंग करते समय सहवन से ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम दर्ज हो गयी है। जिसे पंजीयन दस्तावेज रजिस्ट्री व मौके के अनुसार ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि करवाना चाहती हूं। इस संबंध में तत्कालीन समय में तहसीलदार कुशलगढ़ द्वारा पत्रांकः– 402 दिनांक 26.07.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। जिसमें उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरों का ऑनलाईन तरमीम शुद्धि हेतु रिपोर्ट की गई थी। परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त तीन खसरे की शुद्धि करने से अन्य खसरे भी प्रभावित हो रहे थे। इस बारे में कोई आवेदन व स्पष्ट अनुशंषा रिपोर्ट तहसीलदार की प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की जा सकी थी।

Scanned with CamScanner

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्र पत्रांकः— 310—321 से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर स्वतः संज्ञान लेकर भू.रा.अ. 1956 की धारा 136 में ऑफलाईन प्रकरण संख्या 02/2024, ऑनलाईन प्रकरण संख्या 2024/9 दर्ज कर पूर्व प्राप्त रिपोर्ट को प्रकरण के साथ सलंग्न करते हुए तहसीलदार कुशलगढ़ से विधिसम्मत रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमांकः— 58 दिनांक 21.02.2024 द्वारा लिखा गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ऑन लाईन नक्शे में तरमीम शुद्धि की जाँच में मूल खसरो व लट्ठा ट्रेस, ऑनलाईन नक्शे में भिन्नता पाई गई है। जिसमें प्रार्थीया सुनिता पत्नि बीनु का खसरा संख्या 116 में मौके पर कब्जे एवं ऑनलाईन में वक्त सेग्रीगेशन तरमीम में कुल 15 खसरो का अंकन किया जाना बताया है। मूल सर्वे नम्बर में एक साथ 15 खसरो का तरमीम व अंकन किये जाने से ऑनलाईन तरमीम करते समय खसरो का अंकन एक दुसरे के स्थान पर हो जाने से अशुद्धि होना बताया है। ऑनलाईन सेग्रीगेशन के समय 1:1 मेपिंग करते समय त्रुटिवश खसरा नम्बर 927/116, 724/116, 723/116, 930/116, 740/116, 908/116, 867/116, 1151/116, 704/116, 912/116, 791/116, 1182/116, 1024/116, 1021/116 व 1183/116 की ऑनलाईन तरमीम गलत दर्ज हो गई थी। अतः उक्त खसरा नम्बरो की ऑनलाईन तरमीम में पेमुदगी के अनुसार प्रभावित होकर नक्शे में दर्ज किया जाकर, प्रस्तुत नक्शे अनुसार अंकित 15 खसरो में ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि किये जाने के संबंध में अशुद्ध व शुद्धि योग्य खसरो का संयुक्त ट्रेस जिसपर खातेदारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षरयुक्त नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि की अनुशंपा की है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार कुशलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट मय खातेदारान् का सहमति हस्ताक्षरयुक्त ट्रेस नक्शा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट में प्रभावित खसरा नम्बरान का नक्शा ट्रेस के अनुसार ऑनलाईन भू—नक्शा में शुद्धी किए जाने की अनुशंपा की गई है। उपरोक्त वर्णित खसरों के ऑनलाईन भू—नक्शा में शुद्धी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ग्राम पोटलीया पटवार मण्डल पोटलीया के मूल खसरा नम्बर 116 से तरमीम हुए प्रार्थी के खसरा नम्बर 740/116, 908/116, 867/116 एवं इससे प्रभावित अन्य खसरा नम्बर 927/116, 724/116, 723/116, 930/116, 1151/116, 704/116, 912/116, 791/116, 1182/116, 1024/116, 1021/116 व 1183/116 की भूमि का ऑनलाईन भू—नक्शा में शुद्धि किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष इन्द्राज वदस्तुर रहे। तहसीलदार कुशलगढ़ उक्तानुसार नक्शा शुद्धि कर अमलदरामद करें। **संलग्न ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।**

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को टंकीत कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

20/3/24

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
कुशलगढ़

Scanned with CamScanner

पटवार मण्डल जोसलियां - नक्शा ट्रेस

1:1 मैपिंग में अशुद्ध नक्शा ↓

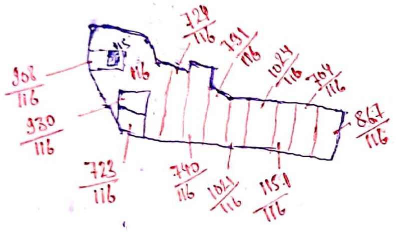

मूल नक्शा अनुसार तरमीम ↓

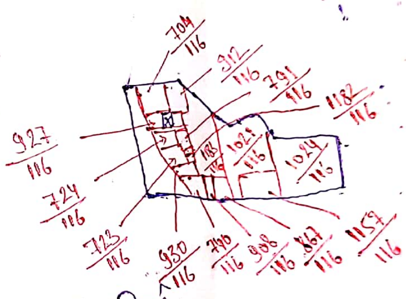

(बहादुर पुत्र मानसिंह)

(दीपा पुत्र केहरा)

(बहादुर पुत्र मानसिंह)

(दीपा पुत्र केहरा)

(सुनीता पत्नि बिन्नु)

(सुनिता पत्नि बिन्नु)

रमा पत्नि राणा

निरंजन
(निरंजन पुत्र पेमजी)

निरंजन
(निरंजन पुत्र पेमजी)

पटवारी